निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष– 05966–220260, फैक्स– 05966–221074

दूरभाष कार्यालय–बागवानी मिशन, देहरादून, 0135–2759799, 2759796

ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

पॉलीथीन शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ द्वारा पॉलीथीन शीट क्रय हेतु विभिन्न मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के विभाग में पंजीकरण हेतु प्रस्ताव आमन्त्रण किये जाते हैं। पॉलीथीन शीट विभाग द्वारा कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। पॉलीथीन शीट की विशिष्टियॉ (Specification) National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH), Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi द्वारा जारी Greenhouse A Reference Manual द्वारा निर्धारित निम्न विवरणानुसार होनी आवश्यक हैः–

"UV stabilized 200 micron transparent Plastics films conforming Indian Standards (IS 15827: 2009), multilayered, anti drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 85% level of light transmittance".

अतः उक्त गुणवत्ता की पॉलीथीन शीट की दरें निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.09.2016 को सांय 5:00 बजे तक मय साफ्टकॉपी कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें दिनांक 14.09.2016 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से बिक्री कर सहित मूल्य ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है तथा उत्तराखण्ड सरकार की बैवसाईट http://uk.gov.in एवं बागवानी मिशन की बैवसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बैवसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।

(बी0एस0 नेगी)
निदेशक, उद्यान

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–220260, फैक्स– 05966–221074
दूरभाष कार्यालय–बागवानी मिशन, देहरादून, 0135–2759799, 2759796
ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

पॉलीथीन शीट आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ द्वारा पॉलीथीन शीट क्रय हेतु विभिन्न मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के विभाग में पंजीकरण हेतु प्रस्ताव आमन्त्रण किये जाते हैं। पॉलीथीन शीट विभाग द्वारा कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। पंजीकरण हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैः–

1. पॉलीथीन शीट की विशिष्टियॉ (Specification) National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH), Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi द्वारा जारी Greenhouse A Reference Manual द्वारा निर्धारित निम्न विवरणानुसार होनी आवश्यक हैः–

   "UV stabilized 200 micron transparent Plastics films conforming Indian Standards (IS 15827: 2009), multilayered, anti drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 85% level of light transmittance".
2. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से दिनांक 14.09.2016 की सांय 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में बिक्री कर सहित मूल्य ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें उत्तराखण्ड सरकार की बैवसाईट http://uk.gov.in एवं बागवानी मिशन की बैवसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, परन्तु बैवसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करते समय ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. पॉलीथीन शीट के दो वर्ग मीटर का टुकडा नमूने के तौर पर निःशुल्क संलग्न करना होगा।
5. पंजीकरण हेतु सूचनायें निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.09.2016 को सांय 05:00 बजे तक सॉफ्टकॉपी में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा करनी होगी।
6. नकद रसीद संख्या एवं डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण

   (अ) नकद रसीद संख्या .... धनराशि .... तथा दिनांक ....

   (ब) डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... तथा दिनांक ....
7. पंजीकरण हेतु ₹1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2018 तक होनी अनिवार्य है।
8. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड में राज्य में स्थित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
9. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीथीन शीट का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।
11. पॉलीथीन शीट की आपूर्ति समस्त जनपद मुख्यालयों पर समान दर से करनी होगी।
12. पॉलीथीन शीट की आपूर्ति के पश्चात कम से कम 03 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. फर्म/कम्पनी तथा अपने समस्त डीलरों के टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
14. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
15. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम ₹5.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य संलग्न करने होंगे।
16. फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
17. पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31.03.2018 तक होगी।

क्रमशः– .....2.....

18. विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।
19. शासनादेश संख्या 2064/XVI-1/14/10(3)/2014, दिनांक 12.12.2014 के अनुसार निर्धारित पॉलीथीन शीट का मूल्य रू0 50.00 प्रति वर्ग मी0 का 75 प्रतिशत राजसहायता समस्त वर्गों के कृषकों को देने का प्राविधान है।
    I) ग्रीन हाउस (पॉलीहाउस) हेतु अधिकतम 4000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल हेतु पॉलीथीन शीट देने का प्राविधान है।
    II) पॉलीथीन शीट का निर्धारित मूल्य रू0 50.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से कुल पॉलीथीन शीट के मूल्य का 75 प्रतिशत राजसहायता समस्त कृषकों को प्रदान करने का प्राविधान है।
    III) ग्रीन हाउस (पॉलीहाउस) स्थापना के 05 वर्ष बाद तथा एक ही बार लाभ देने का प्राविधान है।
    IV) समस्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित ग्रीन हाउस (पॉलीहाउस) के लिये पॉलीथीन शीट पर राजसहायता प्रदान करने का प्राविधान है।
    V) पॉलीथीन शीट पंजीकृत आपूर्ति कर्ता से प्राप्त करने का प्राविधान है।
20. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से पॉलीथीन क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की सहमति पर बजट की उपलब्धता के अनुसार जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी क्रय कर कास्तकारों को पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा सकता है।
21. यदि कृषक स्वयं पॉलीथीन शीट क्रय करता है तो उसके पॉलीहाउस पर लगाई गई नई पॉलीथीन शीट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त प्राप्त बिल/बाउचर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में RTGS के द्वारा किया जायेगा।
22. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
23. यदि फर्म/कम्पनी के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2018 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
24. फर्म/कम्पनी को ₹100/ के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग में आपूर्ति नहीं की जा रही है।
25. आवश्यक होने पर पॉलीथीन शीट की Quality Assurance हेतु CIPET से परीक्षण कराया जा सकता है।

निदेशक, उद्यान

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष– 05966–220260, फैक्स– 05966–221074
दूरभाष कार्यालय–बागवानी मिशन, देहरादून, 0135–2759799, 2759796
ई–मेलः– dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

पॉलीथीन शीट की दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

1. (अ) नकद रसीद संख्या .... धनराशि .... तथा दिनांक ....

   (ब) डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... तथा दिनांक ....

2. मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों को निम्न प्रारूप में सूचना उपलब्ध करानी होगीः–

SI. No.	Name and address of Manufacturing firm / company	Specification of Polysheet	Rate per sqm with all texas	Name and address of Dealer in Uttarakhand	Remark
01	02	03	04	05	06

फर्म/कम्पनी का नाम ....
फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....
फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि का नाम ....
फर्म/कम्पनी की मोहर ....